

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1347/2024

डॉ. अमित सोनी पुत्र श्री पी. आर. सोनी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ए-128/बी, शिव
शक्ति नगर, मॉडल टाउन, जयपुर, राजस्थान 302017

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रधान सचिव के माध्यम से, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
2. निदेशक (पी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, सी-
स्कीम, अशोक नगर, जयपुर, 302007 (राज.)
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय,
जयपुर (राज.)
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, रंगबाड़ी रोड, सेक्टर - ए, रंगबाड़ी, कोटा,
राजस्थान 324010

-----प्रतिवादी

संपर्कित मामलों सहित, जो अनुसूची-I में संलग्न हैं

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	सुश्री पूर्वी माथुर श्री कुशाग्र शर्मा श्री अक्षित गुप्ता साथ में सुश्री प्रज्ञा सेठ सुश्री सारा शर्मा श्रीमति ऐशलीम सैम्युअल
------------------------	---	---

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री जी.एस. गिल, ए.ए.जी. साथ
श्री सूर्य प्रताप सिंह
श्री भुवनेश शर्मा, ए.ए.जी.
श्री नामो नारायण शर्मा,
श्री अंगद मिर्धा
श्री कपिल बर्धार

माननीय श्री. जस्टिस समीर जैन

आदेश

सुनवाई आरक्षित

25/04/2024

आदेश उच्चारित

08/05/2024

1. रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में, विवाद का दायरा प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के मूल दस्तावेजों को कथित रूप से अनधिकृत और अवैध रूप से रोके रखने तक सीमित है, यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं के संबंधित पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी।
2. इसलिए, यह देखते हुए कि रिट याचिकाएँ सामान्य विधिक प्रश्नों के आधार पर निर्णय हेतु योग्य हैं; तथा सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1347/2024 शीर्षक डॉ. अमित सोनी बनाम राज्य राजस्थान एवं अन्य को मुख्य मामला के रूप में लिया जा रहा है। सावधानीपूर्वक यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान याचिकाओं के समूह में यदि कोई भिन्नता हो, तो वह केवल उसमें वर्णित तथ्यात्मक विवरणों से संबंधित होगी, न कि उन विधिक प्रश्नों से, जिनका निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

3. **वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है:-**

i. प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के दस्तावेज़ जारी न किए जाने की विवादित कार्यवाही को कृपया अवैध एवं मनमानी घोषित किया जाए;

ii. प्रतिवादियों को कृपया निर्देशित किया जाए कि याचिकाकर्ता से यह शपथपत्र लेकर उसके दस्तावेज़ जारी करें कि यदि वह राज्य सरकार द्वारा परामर्श के पश्चात् दी गई नियुक्ति को ग्रहण नहीं करता है, तो वह राज्य सरकार के पक्ष में बांड के तहत देय राशि जमा कराएगा;

iii. कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश, जो माननीय न्यायालय इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायसंगत एवं उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।”

4. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली सूची को शामिल करने वाला व्यापक तथ्यात्मक मैट्रिक्स, संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

4.1 याचिकाकर्ता ने एनई ई टी -सुपर स्पेशियलिटी 2020 परीक्षा दी थी और उसमें सफल घोषित हुआ था।

4.2 इसके पश्चात, याचिकाकर्ता को एमसीएच यूरोलॉजी में जीएमसी, कोटा में प्रवेश मिला।

4.3 प्रवेश के दौरान, याचिकाकर्ता को उक्त कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में अपने मूल दस्तावेज़ उक्त कॉलेज में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

4.4 तदनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने मूल दस्तावेज़ जीएमसी, कोटा में जमा करा दिए।

4.5 प्रवेश लेते समय, याचिकाकर्ता से राज्य सरकार के पक्ष में एक सेवा बांड/प्रतिबद्धता निष्पादित करने के लिए कहा गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि याचिकाकर्ता कोर्स पूरा होने के

बाद राज्य सरकार की सेवा करने के लिए बाध्य होगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह बांड की शर्तों के अनुसार जुर्माने की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.6 याचिकाकर्ता ने अपना कोर्स दिसंबर 2023 माह में पूरा किया।

4.7 उक्त कोर्स पूर्ण होने के बावजूद, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज़ रोके हुए हैं और उन्हें जारी नहीं कर रहे हैं।

5. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही अपना कोर्स पूरा कर चुका है, अतः प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज़ों को जारी न करने की विवादित कार्रवाई अवैध, अन्यायपूर्ण और मनमानी है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। मूल दस्तावेज़ों की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज़ों को प्रतिवादियों द्वारा प्रतिभूति के रूप में उस राशि के भुगतान के लिए नहीं रोका जा सकता, जिसकी गणना सेवा बांड में की गई है, जिसे याचिकाकर्ता ने संबंधित कॉलेज में प्रवेश लेते समय निष्पादित किया था। यह कहा गया कि उक्त सेवा बांड में ऐसी कोई शर्त नहीं है, जो प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज़ अपने पास रखने का अधिकार देती हो।

6. इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दस्तावेज़ों की रिहाई का मुद्दा अब कोई अनसुलझा प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 12611/2022 शीर्षक डॉ. निशांत गोपाल एवं अन्य बनाम राज्य

राजस्थान एवं अन्य के मामले में, आदेश दिनांक 10.11.2022 द्वारा स्पष्ट रूप से यह माना कि मूल दस्तावेजों को रोकना/रोक कर रखना विधि के प्रतिकूल है और प्रतिवादियों को उक्त दस्तावेज तीन सप्ताह की अवधि में जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। तथापि, उक्त आदेश दिनांक 10.11.2022 को राज्य द्वारा इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1311/2022 शीर्षक राज्य राजस्थान एवं अन्य बनाम डॉ. निशांत गोपाल के तहत चुनौती दी गई, जिसमें दिनांक 09.12.2022 के अंतरिम आदेश द्वारा राज्य की स्थगन प्रार्थना का निपटा दिया गया और राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र के रूप में वचन देने तथा उक्त शपथ-पत्र की प्रति संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसके दस्तावेज जारी करे।

7. इस मोड़ पर, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 09.12.2022 के आदेश के आलोक में, इस न्यायालय ने दिनांक 21.02.2024 के आदेश के माध्यम से, एक अंतरिम उपाय के रूप में, प्रतिवादियों को उन याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया, जिन्होंने दिनांक 09.12.2022 के आदेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों के समक्ष एक वचनबद्धता प्रस्तुत की होगी।

8. इसलिए, इस स्तर पर, यह कहते हुए कि इस न्यायालय की खंडपीठ डॉ. निशांत गोपाल (सुप्रा) के मामले में राज्य द्वारा की गई अपील के कारण, मामले की योग्यता के आधार पर पहले ही विचार कर चुकी है, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया जाए, क्योंकि प्रतिवादियों ने दिनांक 09.12.2022 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन पर

उसके दस्तावेज़ पहले ही जारी कर दिए हैं। यह प्रतिपादित किया गया कि ऐसा करने से, इस न्यायालय के समक्ष वाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा मूल दस्तावेज़ों को रोके रखने की सत्यता और/या वैधता पर निर्णय डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 1311/2022, जिसका शीर्षक राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम डॉ. निशांत गोपाल है, में खंडपीठ द्वारा किया जाएगा।

9. इस मामले के बाद, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जी.एस. गिल ने भी इस तथ्य को विधिवत स्वीकार किया कि आज की तिथि तक, खंडपीठ मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार कर रही है। हालाँकि, साथ ही, श्री गिल ने प्रस्तुत किया कि चूँकि खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 09.12.2022 का आदेश राज्य द्वारा आपत्ति किए बिना वर्तमान में लागू है और उसके अनुपालन/शर्तों के अनुसार, इस न्यायालय ने दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों को एक वचनबद्धता पर याचिकाकर्ता के दस्तावेज़ जारी करने का निर्देश दिया है, और परिणामस्वरूप दस्तावेज़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश को वर्तमान याचिकाओं के समूह का निपटारा करने के लिए प्रभावी बनाया जा सकता है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और वर्तमान याचिका का अभिलेख देखा गया।

11. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों पर पूरी निष्ठा के साथ विचार करने के पश्चात, जो मुख्यतः वर्तमान याचिका के निस्तारण के विषय में समान हैं, यह न्यायालय निम्नलिखित टिप्पणियाँ करना उपयुक्त समझता है:—

11.1 इस न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच ने डी.बी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1311/2022, शीर्षक राज्य राजस्थान एवं अन्य बनाम डॉ. निशांत गोपाल, में आदेश दिनांक 09.12.2022 द्वारा, इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के प्रवर्तन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसा करते हुए, डिवीजन बेंच ने मूल दस्तावेजों की वापसी के संदर्भ में, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, यह माना कि राज्य द्वारा संबंधित प्रतिवादियों को दस्तावेज लौटाए जा सकते हैं, बशर्ते वे इस न्यायालय के समक्ष यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि यदि वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे बांड के तहत देय राशि जमा करेंगे; और उक्त शपथ-पत्र की प्रति संबंधित प्राधिकरण के समक्ष जमा कराने के बाद दस्तावेज/प्रमाणपत्र/अंकतालिकाएँ प्रतिवादियों को लौटा दी जाएँगी।

11.2 खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 09.12.2022 के आदेश के आलोक में, इस न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में, दिनांक 21.02.2024 के आदेश के तहत, प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के दस्तावेज जारी करें, बशर्ते कि प्रतिवादी खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार एक वचनबद्धता प्रस्तुत करें। दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, यह न्यायालय, एक अंतरिम उपाय के रूप में, प्रतिवादियों को उन याचिकाकर्ताओं के मूल दस्तावेज जारी करने का निर्देश देना उचित समझता है, जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर यह वचन दिया है कि यदि वे प्रस्तावित नियुक्ति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, तो वे बांड के तहत देय राशि जमा करेंगे और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस न्यायालय के समक्ष वचन पत्र दाखिल करने के संबंध में वचन पत्र की प्रति सहित हलफनामा प्रस्तुत करने पर, अपेक्षित दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को वापस कर दिए जाएंगे।

तदनुसार, पूर्वोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों को जारी करने के लिए पूर्वोक्त अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, बशर्ते कि निशांत गोपाल (सुप्रा) में 09.12.2022 को पारित खंडपीठ के आदेश के अनुसार एक वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।”

11.3 दिनांक पर, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश को पूर्णतः वैध ठहराते हुए, इस याचिका के निपटारे के संबंध में एकमत तर्क प्रस्तुत किए हैं, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के अनुसार, प्रतिवादियों ने पहले ही उसके मूल दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अतः इस न्यायालय के समक्ष यह सूची अब और मान्य नहीं है, क्योंकि गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 1311/2022, जिसका शीर्षक राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम डॉ. निशांत गोपाल है, में खंडपीठ पहले ही मामले पर विचार कर चुकी है।

12. तदनुसार, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अतिव्यापी और अभिसारी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय दिनांक 09.12.2022 के आदेश के अनुसार

प्रस्तुत किए गए वचनपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेजों को जारी करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाना उचित समझता है।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार, तत्काल याचिकाओं का समूह निपटाया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका भी निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), जे

जेकेपी/912

अनुसूची-1

सुरक्षित तिथि	25.04.2024
1. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17592/2022	
2. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8648/2023	
3. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8896/2023	
4. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12829/2023	
5. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12877/2023	
6. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13263/2023	
7. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13511/2023	
8. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13514/2023	
9. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13566/2023	
10. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14085/2023	
11. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14086/2023	
12. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14121/2023	
13. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14282/2023	
14. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14330/2023	
15. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14338/2023	
16. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14376/2023	
17. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14442/2023	
18. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14475/2023	
19. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15043/2023	
20. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15427/2023	
21. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15446/2023	
22. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15726/2023	
23. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15878/2023	
24. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15879/2023	

25. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16112/2023
26. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16121/2023
27. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16373/2023
28. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16374/2023
29. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16733/2023
30. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16741/2023
31. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16794/2023
32. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16900/2023
33. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16901/2023
34. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 16902/2023
35. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 16903/2023
36. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 16905/2023
37. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 16906/2023
38. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17082/2023
39. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17087/2023
40. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17089/2023
41. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17199/2023
42. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17201/2023
43. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17202/2023
44. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17203/2023
45. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17204/2023
46. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17205/2023
47. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17206/2023
48. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17207/2023
49. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17216/2023
50. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17337/2023
51. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17339/2023
52. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17340/2023

53. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17431/2023
54. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17432/2023
55. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17433/2023
56. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17434/2023
57. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17435/2023
58. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17436/2023
59. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17437/2023
60. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17438/2023
61. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17439/2023
62. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17441/2023
63. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17442/2023
64. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17530/2023
65. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17532/2023
66. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17536/2023
67. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17537/2023
68. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17539/2023
69. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17542/2023
70. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17543/2023
71. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 17546/2023
72. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18103/2023
73. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18104/2023
74. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18107/2023
75. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18429/2023
76. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18433/2023
77. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18750/2023
78. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18798/2023
79. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18799/2023
80. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18870/2023

81. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 18871/2023
82. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 19117/2023
83. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 19645/2023
84. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 19646/2023
85. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 19647/2023
86. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 20084/2023
87. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 20086/2023
88. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 20399/2023
89. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 475/2024
90. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1044/2024
91. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1346/2024
92. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1348/2024
93. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1349/2024
94. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1350/2024
95. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1351/2024
96. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1352/2024
97. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1368/2024
98. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1369/2024
99. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1370/2024
100. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1371/2024
101. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1372/2024
102. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1374/2024
103. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1378/2024
104. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1380/2024
105. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1381/2024
106. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1382/2024
107. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1383/2024
108. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1384/2024

109. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1385/2024
110. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1390/2024
111. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1434/2024
112. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1439/2024
113. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1441/2024
114. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1455/2024
115. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1456/2024
116. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1460/2024
117. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1461/2024
118. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1467/2024
119. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1469/2024
120. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1584/2024
121. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1585/2024
122. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1590/2024
123. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1593/2024
124. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1595/2024
125. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1596/2024
126. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1597/2024
127. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1598/2024
128. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1599/2024
129. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1601/2024
130. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1602/2024
131. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1603/2024
132. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1604/2024
133. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1607/2024
134. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1769/2024
135. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1770/2024
136. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1772/2024

137. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 1773/2024
138. एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 209/2024
139. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2521/2024
140. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2891/2024
141. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2917/2024
142. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3037/2024
143. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3131/2024
144. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3767/2024
145. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4264/2024
146. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4639/2024
147. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4692/2024
148. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5284/2024
149. एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5318/2024

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate